

आदेश ब इजलास राजन विहाल आईएएस, जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर  
 प्रकरण संख्या 204/2021 (धारा 14 सेक्युरिटाईजेसन)  
 मेन्टोर हाउस लॉन्ग इण्डिया लि0 (पूर्व में मेन्टोर इण्डिया लि0) पता प्रधान कार्यालय मेन्टोर हाऊस,  
 लखिन्द नार्न, सेटी कालोनी, जयपुर ।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. श्री रामगोपाल प्रजापत पुत्र श्री चिरंजी लाल प्रजापत
2. श्रीमती विद्या देवी पत्नी श्री रामगोपाल प्रजापत  
 निवासीगण-प्लॉट नम्बर 109, लक्ष्मी वाटिका-बी, विजयपुरा रोड, आगरा रोड, जिला जयपुर,  
 राजस्थान।
3. श्रीमती सीमा चौधरी पत्नी श्री दिनेश चौधरी  
 निवासी-प्लॉट नम्बर 20, लडैह विहार, सूपेल रोड, जामडोली, आगरा रोड, जयपुर, राजस्थान।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर



This application under section 14 of The Securitisation and  
 Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of  
 Security Interest Act, 2002.

अर्थात्-श्री सूरज शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश


दिनांक: 07.03.2022

1. शरीर में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 15.11.2018 को पुनर्गुप्तान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्रीमती विद्या देवी पत्नी श्री रामगोपाल प्रजापत के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लॉट नम्बर 46-ए-2, शिवा नगर, विजयपुरा, आगरा रोड, जिला जयपुर, क्षेत्रफल 56 वर्गगज को बंधक रख कर 10,00,000/-रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 12(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 08.03.2021 को सीजस्टर्ड नॉटिस जारी किये गये। नॉटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002, की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पत्ति का मौलिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक सूचना उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज किया गया। न्याय द्वित में अप्रार्थीगण को सूचना पत्र जारी किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से कोई उत्तरिभव नहीं हुआ।
3. वित्तीय संस्था के सुयोग अधिवक्ता को मीर से सूना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।
4. प्रार्थी वित्तीय संस्था को सूचना का संपन्न में विद्युत संचालन की अधिसूचना नई दिल्ली 18 विसम्बर 2019 से सम्बन्धी अधिनियम 2019 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

जिला मजिस्ट्रेट  
 (कलक्टर) जयपुर

6. पत्रावली के अंतर्गत से स्पष्ट है कि प्राचीं वित्तीय संस्था में अप्राचींकरण की 16/10/2014/- कार्य का अंजाम दिया है, जिसकी अंतिम अंजाम के साथ में अप्राचींकरण में अंतर्गत तैयार सम्पत्ति के साथ में प्राचीं वित्तीय संस्था के साथ भिन्नी रही है। अप्राचींकरण का अंजाम करना एन पी ए संश्लेषण से निम्नानुसार अंजाम वसूली के लिए बकाया अंजाम तबि यह अंजाम कुल 16/10/2014/-कार्ये अंजाम करने हेतु अप्राचींकरण की दिनांक (16/10/2014) की अधिनियम की धारा 13 (2) के अधिन नोटिस जारी किया गया। अप्राचींकरण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई उत्तर नहीं दिया गया और अप्राचींकरण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया अंजाम तबि का मुताबिक से नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया तबि एक साथ कार्य में अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक तबि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था को बकाया रही गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकार है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बकाया रही गई सम्पत्ति का नैतिक कब्जा दिखाने जाने का स्पष्ट प्रावधान है। धारा-14 के प्रावधान धरा के सम्बन्ध में अधिकृत अधिकारी द्वारा आवश्यक शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है।
6. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002, की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रावधान धरा स्वीकार कर प्राचीं वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्राचीं शीमती दिया देती पत्नी श्री रामगोपाल प्रजापत के स्तमित्त की सम्पत्ति प्लॉट नम्बर 46-ए-2, शिवा नगर, विजयपुर, अंगरा रोड, जिला जयपुर, क्षेत्रफल 36 वर्गगज का नैतिक रूप से कब्जा प्राचीं वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने आदेश दिये जाते है।
7. आदेश की प्रति सम्बन्धित पुलिस उपायुक्त/पुलिस अधिक्षक (प्रामीण) जयपुर को भेज कर लिखा जाये की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्राचीं वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिखाने हेतु सम्बन्धित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु वाकन्त करें। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दायित्व दायता हो।
- आदेश आज दिनांक 07/10/2022 को सरे इजलास सुनाया गया।



  
 (राजेंद्र मिश्रा)  
 जिला मजिस्ट्रेट  
 (कलक्टर) जयपुर